जिला सिरसा (हरियाणा)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा

उपस्थित अभिभाषकगण

1. अधिवक्ता श्री भवानी सिंह निर्वाण – वादीगण
2. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण – प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 19/02/21

वादीगण की ओर श्री भवानी सिंह निर्वाण व प्रतिवादीगण ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 19.2.21 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर राजीनामा अनुसार वाद वादी डिकी करते हुऐ घोषणा की जाती है कि :– वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि चक 19 एचएमएच तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 129/116 के पत्थर नमबर 130/284 (50) किला नम्बर 1 से 10, 13 से 18, 24, 25 कुल 4.554 हैक. नहरी में स्व. श्री गौरीशंकर के नाम दर्ज 0.379 हैक. कृषि भूमि में वादीगण संख्या 2 से 4 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. वादीगण संख्या 5 व 6 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
Scanned with CamScanner

की किस्म (यथा नहरी / बिरानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगे।

यह डिकी आज दिनांक 19/12/21 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

मिलान किया

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner